

समाहरणालय, मधेपुरा
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक 273-2 / सा0सु0को0.

स/प/अ

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा,
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज।

विषय:-

मधेपुरा, दिनांक 28/6/13 /
चालू वित्तीय वर्ष-2013-14 में राज्य योजनाबन्तर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना
(सामान्य घटक) में पेंशनधारियों को नगद पेंशन भुगतान हेतु प्रथम किस्त कुल रु-
3,15,900=00 (तीन लाख पन्द्रह हजार नौ सौ) रुपये मात्र का उपावंटन।

प्रसंग:-

सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार- पटना के पत्र सं0-01/सा0सु0 बजट-ई0गा0रा0नि0पें0-13/2013-
सा0क0-18 पटना, दिनांक-22/05/2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98 में उल्लेखित
निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यदेश सं0-1001 दिनांक-14.05.2013 के आलोक में पेंशनधारियों को प्रथम किस्त
नगद पेंशन भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के स्तम्भ-4 के अनुसार कुल रु 3,15,900=00 (तीन लाख पन्द्रह हजार नौ सौ)
रुपये मात्र का उपावंटित किया जाता है।

- 2- उपावंटित राशि नॉंग सं0-51, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-03-राष्ट्रीय सामाजिक
सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष-101- राष्ट्रीय वृद्धायस्था पेंशन योजना उप-शीर्ष-0102-इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता
पेंशन योजना, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-वैतनादि के अलावा, विपत्र कोड संख्या-p-2235031010102
तथा स्कीम कोड-WEL-5499 से विकलनीय होगा।
- 3- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे उपावंटित राशि कोषागार से निकासी कर शिविर के माध्यम से
पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- 4- जिस मद में राशि उपावंटित की गई है उसे उसी मद में व्यय किया जायगा।
- 5- उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निश्चित रूप से उपलब्ध
करायी जाय।
- 6- उपावंटित राशि का विवरणी संलग्न है।
उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

वित्तीय वर्ष-2013-14 में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (अनुसूचित वर्ग) के तहत पेंशन भुगतान हेतु सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (31 06) मद में प्रखण्डवार/निकायवार उपावंटन तालिका:-

क्र०	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पेंशनधारियों की संख्या	उपावंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2			
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	13	11700	अनुमण्डल पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन में विरोधाभास है कृपया जाँचकर वास्तविक संख्या प्रतिवेदित की जाय।
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	12	10800	
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	20	18000	
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धैलाढ़	18	16200	
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	4	3600	
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड	10	9000	
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	21	18900	
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	375	60300	
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	15	13500	
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	112	100800	
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	0	0	
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा	42	37800	
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	17	15300	
14	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा	0	0	
15	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज	0	0	
	कुल योग :-	659	315900	

मो० (तीन लाख पन्द्रह हजार नौ सौ रुपये मात्र।

नोट:- इस योजना में 80% या इससे अधिक निःशक्तजनों को अक्षरदत्त किया जाना है और वे BPL में सूचीबद्ध हो।


जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।